पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

विभागीय पोर्टल 14 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन के लिए खुला रहेगा

संबंधित जानकारी विभागीय पोर्टल http://fisheries.up.gov.in पर उपलब्ध

–मत्स्य विकास मंत्री डॉ संजय कुमार निषाद

लखनऊ : 14 अगस्त, 2026

उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने आज यहां मत्स्य निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 से संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की अवधि सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। योजना के अंतर्गत उपलब्ध अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए विभागीय पोर्टल 14 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन के लिए खोला जा रहा है। योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का विस्तृत विवरण, इकाई लागत, पात्रता, आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक अभिलेख तथा अन्य संबंधित जानकारी विभागीय पोर्टल http://fisheries.up.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक एवं पात्र लाभार्थी निर्धारित अवधि में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए मत्स्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में मत्स्य विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से समुचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत 06 परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिनमें बड़े क्षेत्र में तालाब निर्माण एवं निवेश– 33.93 हेक्टेयर (सामान्य, महिला एवं अनुसूचित जाति वर्ग), मध्य

आकार आरएएस (RAS)–03 यूनिट (सामान्य वर्ग), रियरिंग यूनिट का निर्माण–22.667 हेक्टेयर (महिला एवं अनुसूचित जाति वर्ग), बैकयार्ड आरएएस–241 यूनिट (महिला वर्ग), जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचय–65,000 अंगुलिकाएं (सामान्य, महिला एवं अनुसूचित जाति वर्ग) तथा पारंपरिक मछुआरा परिवारों के लिए आजीविका एवं पोषण संबंधी सहायता–500 यूनिट हैं।

मत्स्य विकास मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग, मत्स्य पालकों की आय में बढ़ोतरी तथा पारंपरिक मछुआरा परिवारों की आजीविका को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। आधुनिक तकनीक आधारित मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलने से प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त जनपदों में आवेदन अवधि के दौरान योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी योजना से जुड़ सकें। जनपद स्तर पर मत्स्य पालकों एवं अन्य पात्र आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी तथा आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। मत्स्य मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदनों की जांच एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया निर्धारित समय–सीमा में पूरी की जाए। साथ ही, लाभार्थियों को परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान आवश्यकतानुसार तकनीकी एवं विभागीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए, जिससे परियोजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के निर्धारित उद्देश्यों को प्रदेश में प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके।

इस अवसर पर विशेष सचिव श्री सुनील वर्मा, महानिदेशक मत्स्य, श्रीमती धनलक्ष्मी के0 एवं मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सम्पर्क सूत्र– निधि वर्मा/ओबैदुर रहमान

राघवेन्द्र/02:20 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in